

**न्यायालय प्रधान जिला न्यायाधीश, नर्मदापुरम (म.प्र.)**

(पीठासीन न्यायाधीश : रामकुमार चौबे)

नियमित सिविल अपील क्र. 40 / 2023

फाईलिंग नंबर आरसीए / 280 / 2023

सीएनआर नंबर MP0501000561 / 2024

संस्थित दिनांक 24.4.2023

गौरीशंकर बरखने पुत्र स्व. अमृतलाल बरखने आयु 38 वर्ष  
निवासी बालागंज मोहल्ला, नर्मदापुरम, तहसील नर्मदापुरम,  
जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

.....अपीलार्थी

विरुद्ध

1. ओमप्रकाश बरखने पुत्र स्व. अमृतलाल बरखने आयु 48 वर्ष  
निवासी बालागंज मोहल्ला, नर्मदापुरम, तहसील नर्मदापुरम,  
जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)
2. रेडक्रास सोसायटी, नर्मदापुरम, द्वारा:  
2-अ. अध्यक्ष, कलेक्टर, नर्मदापुरम,  
2-ब. सचिव, डॉ. आर. गंगराडे, सिविल सर्जन, नर्मदापुरम
3. शेरसिंह बड़कुर लिपिक रेडक्रास सोसायटी,  
जिला चिकित्सालय, नर्मदापुरम, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

.....प्रत्यर्थीगण

|                                |   |                                |
|--------------------------------|---|--------------------------------|
| अपीलार्थी द्वारा               | : | श्री एस. एस. ठाकुर, अधिवक्ता।  |
| प्रत्यर्थी क्र. 1 द्वारा       | : | श्री जे. के. तिवारी, अधिवक्ता। |
| प्रत्यर्थी क्र. 2 एवं 3 द्वारा | : | श्री दीपक जैन, अधिवक्ता।       |

निर्णय

(दिनांक: 7 अप्रैल, 2025)

यह अपील धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता, के अंतर्गत विचारण न्यायालय प्रथम सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, नर्मदापुरम (पीठासीन न्यायाधीश: श्रीमती प्रियंका रतौनिया सिंह) के सिविल वाद क्र. 7ए/2021 गौरीशंकर विरुद्ध ओमप्रकाश व अन्य में पारित डिक्री एवं निर्णय दिनांक 25.3.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलाधीन डिक्री एवं निर्णय के अनुसार विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी / वादी द्वारा आदेशात्मक व्यादेश के लिए प्रस्तुत वाद निरस्त किया है।



2. अपील के निराकरण के लिए सुसंगत तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी (विचारण न्यायालय के समक्ष वादी) ने प्रत्यर्थीगण (विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण) के विरुद्ध इस आशय का सिविल वाद दिनांक 5.3.2020 को प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी क्र. 2 वादग्रस्त दुकान क्र. 4 स्थित शॉपिंग काम्पलेक्स, इतवारा बाजार, जिला चिकित्सालय, नर्मदापुरम का स्वामी है। वादग्रस्त दुकान गोपाल शरण चौरसिया नामक व्यक्ति को आबंटित की गई थी जिसमें वादी एवं प्रतिवादी क्र.1 संयुक्त रूप से गोपाल शरण चौरसिया की सहमति से कपड़े का व्यवसाय करते रहे हैं। गोपाल शरण चौरसिया ने सहमति पत्र दिनांक 1.5.2009 निष्पादित कर वादी एवं प्रतिवादी क्र. 1 को वादग्रस्त दुकान में व्यवसाय निरंतर रखने और उनके नाम पर दर्ज किए जाने की सहमति दी थी। प्रतिवादी क्र. 1 जो वादी का बड़ा भाई है, ने धोखे से प्रतिवादी क्र. 2 एवं 3 से मिलकर गोपाल शरण चौरसिया के सहमति पत्र दिनांक 1.5.2009 में कांटछांट कर वादग्रस्त दुकान पर प्रतिवादी क्र. 1 का नाम दर्ज करा लिया है। वादी ने प्रतिवादीगण को अधिवक्ता के द्वारा पंजीकृत डाक से सूचना पत्र दिनांक 23.12.2019 को प्रेषित किया जिसका प्रतिवादी क्र. 2 एवं 3 की ओर से उत्तर प्रेषित किया गया था किन्तु वादी का नाम दर्ज नहीं किया गया। अस्तु वादग्रस्त दुकान पर प्रतिवादी क्र. 1 के साथ वादी का नाम दर्ज कराने के लिए आज्ञापक व्यादेश जारी किया जावे।

3. विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी क्र. 1 तथा प्रतिवादी 2 एवं 3 की ओर से पृथक-पृथक लिखित कथन प्रस्तुत कर वाद पत्र के सभी प्रमुख अभिवचनों को अस्वीकार किया है और यह अभिकथित किया है कि गोपाल शरण चौरसिया वर्ष 2010 में प्रतिवादी क्र. 2 की वादग्रस्त दुकान के बकाया किरायेदार थे इसलिए बकाया किराया अदा करने और नवीन अनुबंध करने के लिए पत्राचार किया गया और वादग्रस्त दुकान के संबंध में प्रतिवादी क्र. 1 के नाम से नवीन अनुबंध निष्पादित करने की अनुमति दी गई। तदोपरांत प्रतिवादी क्र. 1 ने अनुबंध की राशि 50,000/- रूपए का भुगतान प्रतिवादी क्र. 2 को किया और प्रतिवादी क्र. 1 एवं 2 के मध्य वादग्रस्त दुकान के भवन स्वामी किरायेदार का संबंध स्थापित हुआ जिसमें वादी को कोई अधिकार नहीं है। वादी वादग्रस्त दुकान का कभी किरायेदार नहीं रहा है, वादग्रस्त दुकान पर नाम दर्ज कराने का कोई अधिकार वादी को नहीं है। वर्ष 2009 से 2019




तक वादी ने कोई कार्यवाही नहीं की है। आज्ञापक व्यादेश के लिए वाद प्रचलन योग्य नहीं है। वांछित अनुतोष के लिए वाद का मूल्यांकन कर न्याय शुल्क अदा नहीं किया गया है इसलिए वाद प्रचलन के योग्य नहीं है।

4. विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अनुसार यह निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए वाद वादग्रस्त दुकान में प्रतिवादी क्र. 1 के साथ किरायेदार के रूप में नाम दर्ज कराने और उसके सह किरायेदार होने के तथ्य सिद्ध नहीं कर सका, वाद सव्यय निरस्त किया। फलतः वादी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

5. अपील के आधार संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री तथ्य और विधि के विरुद्ध है। विद्वान विचारण न्यायालय को यह निष्कर्ष अभिलिखित करना चाहिए था कि वादग्रस्त दुकान में वादी प्रतिवादी क्र. 1 के साथ संयुक्त रूप से किरायेदार है इसलिए उसका नाम दर्ज किए जाने योग्य है। विद्वान विचारण न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य का उचित विवेचन नहीं किया है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। आदेश 7 नियम 14 सी.पी.सी. के अंतर्गत प्रस्तुत अंतरवर्ती आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि की है। अतएव अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त कर वाद स्वीकार किया जावे।

6. प्रत्यर्थी क्र. 1 की ओर से कहा गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री तथ्य और विधिसम्मत है। वादी का वादग्रस्त दुकान में कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी क्र. 1 एवं 2 के मध्य भवन स्वामी और किरायेदार के संबंध है। इसलिए अपील निरस्त किए जाने योग्य है। प्रत्यर्थी क्र. 2 एवं 3 की ओर से कहा गया है कि प्रतिवादी क्र. 1 एवं 2 के मध्य वादग्रस्त दुकान को लेकर किरायेदार और भवन स्वामी के संबंध हैं। प्रतिवादी क्र. 3 शासकीय सेवा में लिपिक के रूप में कार्य करता है। इसकी कोई भूमिका नहीं है। इसलिए अपील निरस्त किए जाने योग्य है।

7. विचारण न्यायालय ने वाद अवधि बाधित होने के संबंध में यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि वाद समयावधि में है तथा वाद के मूल्यांकन और न्याय शुल्क के संबंध में यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि वाद का उचित मूल्यांकन कर न्याय

शुल्क अदा किया गया है। तदनुसार उक्त वादप्रश्नों का निष्कर्ष अपीलार्थी/वादी के पक्ष में किया गया है। उक्त निष्कर्षों को प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिअपील या प्रत्याक्षेप के माध्यम से चुनौती नहीं दी गई है। अतः उक्त दोनों वादप्रश्नों पर विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों में इस अपील की सुनवाई में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

8. विचारणीय प्रश्न निम्न हैं—

1. क्या अपीलार्थी/वादी को वादग्रस्त दुकान में प्रतिवादी क्र. 1 के साथ संयुक्त रूप से किरायेदार होने और इस रूप में नाम दर्ज कराने का अधिकार है ?
2. क्या अपीलार्थी/वादी आज्ञापक व्यादेश का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है ?
3. क्या अपीलाधीन डिक्री एवं निर्णय अपास्त किये जाने योग्य हैं ?

9. अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण की ओर से लिखित में तर्क प्रस्तुत किए गए हैं लेकिन प्रस्तुत लिखित तर्कों में अभिवचनों और विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य को ही पुनः प्रस्तुत किया गया है इसलिए लिखित तर्कों का विस्तार से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

10. यह उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त दुकान का भवन स्वामी अर्थात् प्रतिवादी क्र. 2 रेडक्रास सोसायटी एक पंजीकृत संस्था है। लेकिन उभयपक्ष की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान ऐसा नहीं कहा गया है कि प्रतिवादी क्र. 2 के स्वामित्व की सम्पत्ति अर्थात् वादग्रस्त दुकान धारा 3 (2) म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में उक्त अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों के लागू होने से छूट प्राप्त है। इस आशय के अभिवचन नहीं किये गये हैं और न ही राज्य सरकार की ऐसी कोई अधिसूचना प्रस्तुत की गई है। इसलिए वादग्रस्त दुकान के संबंध में म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी का आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 14 सी.पी.सी. जिसके द्वारा कतिपय दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किये गये थे, को अस्वीकार किया है। अपीलार्थी की ओर



से यह स्पष्ट नहीं है कि कौन-से दस्तावेज जो साक्ष्य में अभिलेख पर लिये जाने थे, लेने से अस्वीकार किया गया है और ऐसे दस्तावेज किस तरह से वाद के न्यायोचित निराकरण के लिए आवश्यक है। अपील पर अंतिम तर्क के दौरान ऐसे कथित दस्तावेजों का संदर्भ भी नहीं दिया गया है। अतः इस संबंध में कोई निष्कर्ष अभिलिखित किया जाना अपेक्षित नहीं है।

12. यह निर्विवादित है कि वादी एवं प्रतिवादी क्र. 1 आपस में सगे भाई हैं। यह भी निर्विवादित है कि वादग्रस्त दुकान प्रतिवादी क्र. 2 के स्वामित्व की है अर्थात् प्रतिवादी क्र. 2 उसका भवन स्वामी है। यह भी निर्विवादित है कि वादग्रस्त दुकान पूर्व में गोपाल शरण चौरसिया नामक व्यक्ति को आबंटित की गयी थी।

13. वादपत्र में किए गए अभिवचनों के अनुसार वादग्रस्त दुकान के पूर्व किरायेदार गोपाल शरण चौरसिया ने वादी एवं प्रतिवादी क्र. 1 के पक्ष में वादग्रस्त दुकान उनके नाम पर दर्ज किए जाने के लिए सहमति पत्र दिनांक 1.5.2009 निष्पादित किया था। उक्त सहमति पत्र (प्रदर्श पी.-7) अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है जिसमें गोपाल शरण चौरसिया द्वारा वादग्रस्त दुकान उसके नाम पर आबंटित होने और उस पर वादी एवं प्रतिवादी क्र. 1 द्वारा कपड़े का व्यवसाय करने का उल्लेख है तथा उक्त दुकान का किराया प्रतिवादी क्र. 2 के कार्यालय में जमा कराने हेतु उक्त दुकान में वादी एवं प्रतिवादी क्र. 1 द्वारा व्यवसाय निरंतर रखने और आवश्यकतानुसार उनके नाम पर नामांतरण करने के संबंध में सहमति दी है। सहमति पत्र (प्रदर्श पी.-7) में स्पष्ट रूप से प्रतिवादी क्र. 1 ओमप्रकाश बरखने के साथ-साथ एक अन्य नाम पुत्र अमृतलाल बरखने दोनों निवासी बालागंज, होशंगाबाद का उल्लेख किया गया है। लेकिन दूसरे नाम को स्पष्ट रूप से काटकर उस स्थान पर पुनः ओमप्रकाश बरखने का नाम लिखा गया है। इस तरह से इस कांटछांट के दौरान ओमप्रकाश के ही नाम उसके पिता के नाम सहित दो बार लिखा जाना दर्शित है।

14. इसी सहमति पत्र दिनांक 1.5.2009 (प्रदर्श पी.-7) की ही छायाप्रति (प्रदर्श पी.-7 सी) अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है जिसमें प्रतिवादी ओमप्रकाश बरखने के साथ-साथ वादी गौरीशंकर का भी नाम उन्हीं स्थानों पर लिखा है जहां-जहां मूल



सहमति पत्र (प्रदर्श पी.-7) में पेन स्याही से कांटछांट कर प्रतिवादी क्र. 1 का नाम उल्लेख किया है। इस कांटछांट और परिवर्तन का कोई कारण दर्शित नहीं है। इस संबंध में गोपाल शरण चौरसिया सर्वोत्तम साक्षी हो सकता था लेकिन उसे साक्ष्य में आहूत नहीं किया गया है, तथापि प्रतिवादी क्र. 2 के किरायेदार गोपाल शरण चौरसिया द्वारा वादी अथवा प्रतिवादी क्र. 1 के पक्ष में निष्पादित सहमति पत्र (प्रदर्श पी.-7) विधि की दृष्टि में महत्वहीन दस्तावेज है, क्योंकि जहां निर्विवादित रूप से गोपाल शरण चौरसिया वादग्रस्त दुकान का प्रतिवादी क्र. 2 का पूर्व किरायेदार था वहां गोपाल शरण चौरसिया द्वारा अपनी किरायेदारी समाप्त करने और किरायाशुदा स्थान का आधिपत्य छोड़ देने के पश्चात् नवीन किरायेदारी का सृजन प्रतिवादी क्र. 2 भवन स्वामी पर निर्भर करेगा और इसके लिए ऐसे पूर्व किरायेदार जिसकी किरायेदारी समाप्त हुई हो अथवा जिसने किरायेदारी स्थान का आधिपत्य छोड़ दिया हो, की स्वीकृति या सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। यहां तक कि ऐसी किसी स्वीकृति या सहमति के आधार पर वह व्यक्ति जिसके पक्ष में सहमति दी गई है, किरायेदार होने का दावा नहीं कर सकता है। किरायेदारी वस्तुतः भवन स्वामी और किरायेदार के मध्य का संव्यवहार है।

15. अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेज जो प्रतिवादी क्र. 1 द्वारा प्रतिवादी क्र. 2 को संबोधित पत्र दिनांक 1.5.2009 (प्रदर्श डी.-1) है, में प्रतिवादी क्र. 1 के द्वारा प्रतिवादी क्र. 2 को यह सूचना दी गई है कि वादग्रस्त दुकान में वह अपना व्यवसाय संचालित कर रहा है जो पूर्व में गोपाल शरण चौरसिया के नाम पर आबंटित थी। शपथ पत्र पर उक्त दुकान उसके नाम पर करने की सहमति दी गयी है इसलिए नवीन नामांतरण उसके नाम पर किया जावे। उक्त पत्र (प्रदर्श डी.-1) से ही यह दर्शित है कि प्रतिवादी क्र. 2 के मूल किरायेदार गोपाल शरण चौरसिया ने भवन स्वामी अर्थात् प्रतिवादी क्र. 2 की लिखित सहमति के बिना ही वादग्रस्त दुकान में वादी और प्रतिवादी क्र. 1 को कपड़ों के व्यवसाय हेतु आधिपत्य में प्रदान कर दी थी। यह उप किरायेदारी का सृजन है।

16. वाद पत्र और लिखित कथनों के अभिवचनों और वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध है कि वादग्रस्त दुकान के मूल किरायेदार



गोपाल शरण चौरसिया ने वादी एवं प्रतिवादी क्र. 1 को वादग्रस्त दुकान का आधिपत्य रेडीमेड कपड़े का व्यवसाय करने के लिए देकर उप किरायेदारी सृजित की थी। जबकि म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 14 के उपबंधों के प्रकाश में ऐसी उप किरायेदारी आरंभतः विधि विरुद्ध है और इसके आधार पर वादी या प्रतिवादी क्र. 1 को वादग्रस्त दुकान में किरायेदार के रूप में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। धारा 14 म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम के अनुसार उप किरायेदारी के लिए किरायेदार को भवन स्वामी से ऐसी किरायेदारी आरंभ करने से पूर्व लिखित सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगी। प्रस्तुत प्रकरण में इस आशय के कोई अभिवचन नहीं है और ऐसी कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं है जिससे यह दर्शित हो सके कि गोपाल शरण चौरसिया ने वादग्रस्त दुकान वादी एवं प्रतिवादी क्र. 1 को अथवा उनमें से किसी को वैध रूप से, भवन स्वामी प्रतिवादी क्र. 2 की पूर्व लिखित सहमति से किराये पर दी थी।

17. उप किरायेदारी मौखिक सहमति अथवा मौन सहमति से सृजित नहीं हो सकती है। ऐसी सहमति विनिर्दिष्ट और लिखित में होना आवश्यक है। जैसा कि न्यायदृष्टांत **मेसर्स शालिमार तार प्रोडक्ट वि. एच.सी. शर्मा, 1988 एम.पी. आरसीजे 30** में प्रतिपादित किया गया है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **सेठ फिदा अली वि. जमीलउर्रहमान, 1988 (2) आरसीजे 16** भी अवलंबनीय है। यद्यपि ऐसी सहमति का कोई विहित प्रारूप नहीं है लेकिन सहमति लिखित में होना आवश्यक है और यह लिखित पत्राचार में भी हो सकती है। जैसा कि न्यायदृष्टांत **यूनियन ऑफ इंडिया वि. रलिया राम, एआईआर 1963 एससी 1685** में प्रतिपादित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में इस तरह की कोई लिखित सहमति या पत्राचार प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि वादग्रस्त दुकान के पूर्व किरायेदार गोपाल शरण चौरसिया ने प्रतिवादी क्र. 2 से वादग्रस्त दुकान वादी या प्रतिवादी क्र. 1 अथवा उनमें से किसी को उक्त किरायेदारी पर देने और आधिपत्य कराने की अनुमति प्राप्त की थी। पत्र दिनांक 1.5.2009 (प्रदर्श डी.1) उप किरायेदारी सृजन के पश्चात् दिया गया है। प्रतिवादी क्र. 2 की लिखित सहमति भी नहीं है।

18. यह वाद वादग्रस्त दुकान पर प्रतिवादी क्र. 1 का नाम किरायेदार के रूप



में नाम दर्ज किए जाने के लिए प्रतिवादी क्र. 2 एवं 3 को आदेश देने के लिए आज्ञापक व्यादेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। धारा 39 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में आज्ञापक व्यादेश के संबंध में यह उपबंध है कि किसी बाध्यता के भंग का निवारण करने के लिए कतिपय ऐसे कार्यों का प्रवर्तन कराने के लिए जिनका पालन विवश करना आवश्यक हो न्यायालय स्व विवेक से व्यादेश अनुदत्त कर सकता है।

19. आज्ञापक व्यादेश एक प्रकार का निवारक अनुतोष है जो न्यायालय के विवेक के अधीन है। प्रस्तुत प्रकरण में अभिवचन और साक्ष्य से ही यह सिद्ध है कि वादग्रस्त दुकान के मूल किरायेदार गोपाल शरण चौरसिया ने भवन स्वामी प्रतिवादी क्र. 2 की लिखित अनुमति के बिना वादी और प्रतिवादी क्र. 1 अथवा उनमें से किसी को वादग्रस्त दुकान आधिपत्य में दी अथवा उप किरायेदारी में दी जो आरंभतः विधि विरुद्ध था। इसलिए ऐसे विधि विरुद्ध कार्य के आधार पर साम्या आधारित व्यादेश का अनुतोष प्रदान किया जाना विधिपूर्ण नहीं है। जहां किसी सम्पत्ति पर आधिपत्य का आधार विधि विरुद्ध है वहां व्यादेश का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **अग्निगुनडाला वेंकटा राव वि. इंदूकुरु रामचंद्र रेड्डी (मृत) द्वारा उत्तराधिकारी एवं अन्य, एआईआर. एससी. 2042** अवलंबनीय है।

20. प्रस्तुत प्रकरण में वादी के पक्ष में ऐसी बाध्यता जिसके भंग का निवारण किया जाना आवश्यक है, आज्ञापक व्यादेश के लिए अनिवार्य है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी के पक्ष में ऐसी कोई बाध्यता होना सिद्ध नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त जहां वादी का यह अभिवाक् है कि वह वादग्रस्त दुकान के पूर्व किरायेदार की सहमति से प्रतिवादी क्र. 1 के साथ आधिपत्य में था अर्थात् किरायेदार की प्रास्थिति प्राप्त है, वहां वादी द्वारा ऐसी विधिक प्रास्थिति जिससे प्रतिवादीगण द्वारा इंकार किया गया है, की घोषणा के अनुतोष के लिए वाद लाया जा सकता था इसलिए निश्चित ही आज्ञापक व्यादेश के अनुतोष के लिए वाद स्वीकार योग्य नहीं है।

21. धारा 39 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पारस्परिक संविदा के आधार पर उत्पन्न बाध्यता से संबंधित है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी और प्रतिवादी क्र. 2 के मध्य ऐसी पारस्परिक संविदाकृत बाध्यता नहीं है इसलिए आज्ञापक



व्यादेश के अनुतोष के लिए वाद स्वीकार योग्य नहीं होगा। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **गेल इंडिया लिमि. वि. बाल किशन अग्रवाल ग्लास इंडस्ट्रीज लिमि., (2008) 8 एससीसी 161** अवलंबनीय है। व्यादेश के विवेकाधीन अनुतोष का प्रयोग किसी नई संविदा को अस्तित्व में लेने के लिए भी हो सकता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल वि. नेशनल हाईवे अथॉर्टी ऑफ इंडिया, 2001 एआईआर एससी 3471** अवलंबनीय है।

22. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्ष में यह अवधारित किया जाता है कि वादी वादग्रस्त स्थान के किरायेदार के रूप में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आज्ञापक व्यादेश के अनुतोष हेतु वाद सिद्ध करने में असफल रहा है। अतएव विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद अस्वीकार करने में तथ्य या विधि की कोई त्रुटि नहीं की है।

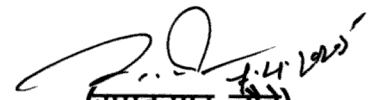
23. परिणामतः अपीलाधीन डिक्री एवं निर्णय दिनांक 25.3.2023 की पुष्टि की जाती है और यह अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

24. इस अपील का उभयपक्ष का व्यय अपीलार्थी/वादी स्वयं वहन करेगा। अपील व्यय में अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अनुसूची के अनुसार जोड़ी जा सकेगी।

तदनुसार डिक्री बनायी जावे।

दिनांक: 7 अप्रैल, 2025



  
(रामकुमार चौबे)  
प्रधान जिला न्यायाधीश  
नर्मदापुरम (म.प्र.)